झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–3 / पी०एम०सी० / कार्य / 177 / 2017.....09/20-21.............. / प०स्वी०   राँची, दिनांक–.....07.01.2021.....

प्रेषक:

प्रशान्त कुमार,
सचिव

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन वित्तीय वर्ष 2020–21 में परिशिष्ट–I के अनुसार E-Governance मद में उपकरणों के क्रय हेतु रू० 496000.00 (रू0 चार लाख छियान्वे हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

1. जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन वित्तीय वर्ष 2020–21 में परिशिष्ट–I के अनुसार E-Governance मद में उपकरणों के क्रय हेतु रू० 496000.00 (रू0 चार लाख छियान्वे हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. E-Governance मद में उपकरणों के क्रय हेतु विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–I में संलग्न है।
3. इस कार्य पर होने वाला व्यय "मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–796–जन–जातीय क्षेत्रीय उप योजना – उपशीर्ष – 27 – ई०गवर्नेस–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय" के अंतर्गत विकलनीय होगा। वित्तीय वर्ष 2020–21 में E-Governance मद में इस शीर्ष में रू0 5.00 लाख (रूपये पॉच लाख) का बजटीय प्रावधान है।
4. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी परिशिष्ट–I के अनुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता, रॉची / खूँटी होगें एवं मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची नियंत्री पदाधिकारी होगें।
5. ई–गवर्नेस मद में उपकरणों का क्रय मार्च 2021 के अंदर किया जाएगा।
6. ई–गवर्नेस मद में उपकरणों के क्रय करने वाले पदाधिकारी एवं जिस कार्यालय के लिए क्रय किया जाना है, परिशिष्ट–I में वर्णित है।
7. ई–गवर्नेस मद में उपकरणों का क्रय स्थापित वित्तीय नियमों के अनुरूप किया जाएगा।
8. झारखंड कोषागर संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य वित्त विभाग के परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार द्वारा की जाएगी।
9. उक्त प्रस्ताव का समावेश वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट उपबंध में समेकित रूप से है।
10. किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाएगी।
11. प्रस्ताव पर सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।
12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनु0:– परिशिष्ट–I

06/01/21.
(प्रशान्त कुमार)
सचिव,

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य / 177 / 2017 09/20-21/प्र०स्वी० राँची, दिनांक– 07.01.2021

प्रतिलिपिः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ / योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:– परिशिष्ट–I

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव,

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य / 177 / 2017 09/20-21/प्र०स्वी० राँची, दिनांक– 07.01.2021

प्रतिलिपिः संबंधित कोषागार, पदाधिकारी, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:– परिशिष्ट–I

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव,

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य / 177 / 2017 09/20-21/प्र०स्वी० राँची, दिनांक– 07.01.2021

प्रतिलिपिः सचिव के आप्त सचिव जल संसाधन विभाग / अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची / अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3 / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची / कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल–6 एवं प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:– परिशिष्ट–I

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव,

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य / 177 / 2017 09/20-21/प्र०स्वी० राँची, दिनांक– 07.01.2021

प्रतिलिपिः आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0:– परिशिष्ट–I

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव,

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य / 177 / 2017 09/20-21/प्र०स्वी० राँची, दिनांक– 07.01.2021

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0:– परिशिष्ट–I

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव,

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य / 177 / 2017 09/20-21/प्र०स्वी० राँची, दिनांक– 07.01.2021

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु / ई0 सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल–3, जल संसाधन विभाग, रॉची को ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु प्रेषित।

अनु0:– परिशिष्ट–I

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव,